Madhya Pradesh Appendix III
(40)

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्र. 3408 स्टेनो/स्वा/आयुक्त
दिनांक 30.8.05

//आदेश//

भोपाल, दिनाँकः 25 अगस्त.2005

क्रमांक/एफ–10–36/05/सत्रह/मेडि–2, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वांगीण सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की अवधारणा के अनुरूप राज्य स्वास्थ्य मिशन की संरचना की जाती है। मिशन का गठन निम्नानुसार होगा:–

अध्यक्ष – मुख्यमंत्री
उपाध्यक्ष – मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मिशन में सदस्यगण निम्नानुसार होंगे:–

1. मंत्री, महिला एवं बाल विकास
2. मंत्री, वित्त
3. मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
4. मंत्री, नगरीण कल्याण
5. मंत्री, आदिम जाति कल्याण
6. राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
7. मुख्य सचिव
8. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, वित्त विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
9. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि
10. माननीय विधायको में से पांच प्रतिनिधि
11. स्वास्थ्य विशेषज्ञ एवं अशासकीय संस्थाओं के तीन प्रतिनिधि
12. अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी संस्थाओं Unicef, UNFPA, DFID, European Commission के प्रतिनिधि

सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इस मिशन के संयोजक होंगे।

मिशन की कम से कम एक बैठक प्रत्येक छः माह में होगी।

मिशन मुख्य रूप से नीतियों में परिवर्तन के प्रस्ताव पर विचार करने, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्रगति की समीक्षा और ऐसे मुद्दो पर विचार करेगी जिनसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन को प्रोत्साहन मिले।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मदन मोहन उपाध्याय)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ

1. निज सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, भोपाल
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास/वित्त/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/आदिम जाति कल्याण/नगरीय प्रशासन एवं विकास/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
4. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
5. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल
6. सचिव, भारत सरकार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नई दिल्ली
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, वित्त विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल
8. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
9. आयुक्त, स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल
10. मिशन संचालक, राज्य स्वास्थ्य मिशन/राजीव गांधी सामुदायिक स्वास्थ्य मिशन, भोपाल
11. संचालक, लोक स्वास्थ्य/चिकित्सा सेवायें, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन भोपाल
12. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

NRHM

Madhya Pradesh. (41)

174

Office of J. S. (B.P.S.)
Dy. No C-2858
Date 18/8/05

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1988/05/17/M-2 भोपाल, दिनांक : 8/8/05

# आदेश

**विषयः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जिला-स्तरीय समितियों का जिला स्वास्थ्य समिति में विलय।**

भारत सरकार के पत्र क्रमांक 37018/6/2003-EAG (Part IV) दिनांक 20.6.2005 द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार राज्य स्तर पर **राज्य स्वास्थ्य मिशन** एवं जिला स्तर पर **जिला स्वास्थ्य मिशन** के गठन का निर्णय लिया गया है। **राज्य स्वास्थ्य मिशन** स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिए योजना तैयार करेगा। इसमें विविध वर्टिकल ढ़ांचों का विलय/समाकलन; प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का अंतरण और विकेंद्रीकरण; पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तीकरण; मिशन के क्रियान्वयन के लिए कार्यगत मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करना; रोगों पर निगरानी; सूचना शिक्षा और संप्रेषण तथा प्रबंध सूचना प्रणाली (MIS) शामिल होंगे।

**जिला स्वास्थ्य मिशन** जिला और उप-जिला स्तर पर सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रबंधन, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करेगा। यह भारत सरकार, राज्य सरकार एवं विकास सहयोगी संस्थाओं (Development Partners) आदि से जिला स्वास्थ्य निधि में प्राप्त निधियों के समन्वित उपयोग के लिए समेकित जिला स्वास्थ्य योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। सर्वोपरि **जिला स्वास्थ्य मिशन** सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।

**जिला स्वास्थ्य समिति** की साधारण सभा समिति की साधारण सभा होते हुए **जिला स्वास्थ्य मिशन** की भूमिका का निर्वहन भी करेगी। 6 माह में एक बार **मिशन** की बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों की विषय सूची में प्रमुखतः कार्यचलनात्मक नीतिगत परिवर्तन के प्रस्ताव, नियोजन, बजटिंग तथा बजट विश्लेषण, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के सेक्टरों में प्रगति की समीक्षा तथा मिशन की पहचान को बढ़ावा देने के लिए पक्ष-समर्थन शामिल हैं।

इसी तारतम्य में राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे जिला स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विभिन्न समितियों को कार्यकारी रूप से एकीकृत करने के लिए उन्हें जिला स्वास्थ्य समिति में समाहित कर लें।

राज्य शासन ने अपने पूर्व आदेश क्रमांक एफ/8/9/2000/17/एम-।।, दिनांक 28.11.2001 को यह निर्देश जारी किये थे कि प्रदेश में सभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समितियों का जिला स्वास्थ्य समिति में विलय कर दिया जाए। किन्तु जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ जिलों में जिला स्वास्थ्य समितियां गठित हो गई है तथा अन्य संबंधित समितियां भी कार्यरत है।

अतः भारत सरकार की मंशा के अनुरूप एवं राज्य शासन के उक्त आदेश के प्रभावी अनुपालन के लिये निम्नानुसार आदेश दिए जाते हैं:

- **यह कि** तत्काल प्रभाव से सभी जिला स्तरीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समितियां मध्यप्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का क्र. 44) की धारा 15 के अनुरूप अपने प्रयोजनों, समस्त अस्तियों एवं दायित्वों के साथ पूर्ण रूप से जिला स्वास्थ्य समिति में समाहित हो जाएं।

173

- यह कि समस्त **जिला स्वास्थ्य समितियां** उक्त अधिनियम की धाराओं 10 तथा 15 के अनुसार अपने-अपने ज्ञापन, विनियमों तथा उपविधियों में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार पूरी कर लें ताकि 15 सितम्बर 2005 से वे कार्यकारी रूप से एकीकृत **जिला स्वास्थ्य समिति** की अवधारणा व्यवहार में परिलक्षित कर सकें और **जिला स्वास्थ्य मिशन** का प्रभावी व्यवस्थापन लागू हो सके। जिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित समितियों का विलय **जिला स्वास्थ्य समिति** में किया जाना है, वे निम्नानुसार हैं-
  - जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (RCH) समिति
  - जिला कुष्ठ उन्मूलन समिति
  - जिला क्षय नियंत्रण समिति
  - जिला मलेरिया नियंत्रण समिति
  - जिला अंधत्व निवारण समिति

- **यह कि** ज्ञापन, विनियमों तथा उपविधियों में आवश्यक संशोधन करते समय निम्नलखित कार्यक्रमों का भी यथोचित उल्लेख करें, कि वर्तमान में कार्यरत निम्नलिखित कार्यक्रम भी जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रबंधित होंगे:

  - एकीकृत जनसंख्या विकास कार्यक्रम
  - सेक्टर निवेश कार्यक्रम
  - एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप फॉर पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन

  इन कार्यक्रमों के अलावा भविष्य में लिए जाने वाले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित अन्य कार्यक्रम भी जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रबंधित एवं कार्यान्वित होंगे। जिला स्वास्थ्य समिति अपने ज्ञापन, विनियमों तथा उपविधियों में आवश्यक संशोधन करते हुए यह भी प्रावधानित करे कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार भी वह आवश्यक कार्य करेगी एवं उसमें कार्यरत प्रबंधन इकाईयों के अधिकारी/कर्मचारी उनके लिए निर्धारित कार्य-दायित्वों के अतिरिक्त जो अन्य दायित्व समय-समय पर सौंपे जायेंगे, उनका निर्वाह भी करेंगे।

- **यह कि** विलयित हो रही ऐसी समस्त राज्य स्तरीय समितियां अपने लेखों की संपरीक्षा/अंकेक्षण उक्त अधिनियम की धारा 25, 27 एवं 28 के अनुसार अद्यतन कर लें। वित्तीय वर्ष 2004-2005 तक के लेखों का अंकेक्षण तत्काल पूरा कर लिया जाए एवं चालू वित्तीय वर्ष में विलय तिथि तक के Accounts अनुसार अपनी समस्त अस्तियों एवं दायित्वों को जिला स्वास्थ्य समिति को हस्तांतरित कर दें।

**उक्त आदेश के सुलभ परिपालन के लिये मॉडल दिशा-निर्देश संलग्न हैं।**

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिनांक 15 सितम्बर 2005 तक उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

**संलग्नक-1: मॉडल दिशा-निर्देश**

(एम.एम. उपाध्याय)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्य प्रदेश

53

पृ. क्रं. 1989/05/17/M-2 भोपाल, दिनांक 8/8/05

प्रतिलिपिः-

1. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत शासन, नई दिल्ली
3. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश
4. मिशन संचालक, राजीव गांधी सामुदायिक स्वास्थ्य मिशन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश शासन, मध्य प्रदेश
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
6. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
7. संचालक, लोक स्वा. एवं प.क. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश
8. संचालक, चिकित्सा सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश
9. समस्त संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश
10. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश
11. समस्त जिला स्वास्थ्य समितियों के अध्यक्ष
12. अध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित समितियां
13. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश
14. राज्य प्रतिनिधि, डी.एफ.आई.डी./यूनिसेफ/यू.एन.एफ.पी.ए., ई.सी. स्टेट फेसिलिटेटर

अपर सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्य प्रदेश

1,71

(44)

संलग्नक-1

## कार्यक्रम-विशेष समितियों के जिला स्वास्थ्य समिति में विलय संबंधी मॉडल दिशा निर्देश

1. यह आवश्यक है कि सभी समितियों के सदस्य सचिव म.प्र. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का क्र. 44) के प्रावधानों (10 तथा 15) को अच्छी तरह समझ लें, ताकि इन दिशा निर्देशों के अनुसार शासन आदेश क्र............. दिनांक .............. का सुचारू रूप से एवं समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार परिपालन सुनिश्चित हो सके।
2. समस्त समितियां जिनका विलय होना है, वे निम्नानुसार कार्यवाही करेंगी-

2.1 **समिति के विलय बाबत पहली विशेष साधारण सभा की बैठक आहूत करें**
म.प्र. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का क्र. 44) की धारा 15 के अनुसार पहली विशेष साधारण सभा की बैठक आहूत करें। बैठक में विचारार्थ **प्रस्तावित रिपोर्ट (संलग्नक 1-1)** समिति के समस्त सदस्यों को बैठक की सूचना के साथ भेज दें। इस सूचना को बैठक की तारीख से **10 दिन** पहले भेज दिया जाए। सूचना का प्रारूप **संलग्नक 1-2** में दिया गया है। इस बैठक में सहमति कर ली जाए कि समिति जिला स्वास्थ्य समिति में समाहित कर दी जाए।

2.2 **30 तीन के अंतराल के बाद दूसरी विशेष साधारण सभा की बैठक का आयोजन**
इस दूसरी बैठक में पहली विशेष साधारण सभा में स्वीकृत प्रतिवेदन की पुष्टि उपस्थित सदस्यों के तीन पंचमांश द्वारा होना आवश्यक है। यह प्रस्ताव पारित किया जाए कि समिति अपने प्रयोजनों, समस्त अस्तियों एवं दायित्वों सहित दिनांक ....... के प्रभाव से जिला स्वास्थ्य समिति में समाहित कर दी जाए। बैठक की सूचना एवं प्रस्तावित ठहराव का प्रारूप **संलग्नक 1-3** में दिया गया है।

2.3 **जिला स्वास्थ्य समिति की विशेष साधारण सभा की बैठक का आयोजन**
विषय-विशेष समितियों की दोनों विशेष साधारण सभाओं की बैठकों के तत्काल बाद जिला स्वास्थ्य समिति की विशेष साधारण सभा की बैठक बुलाई जाए। नोटिस तथा पारित किये जाने वाले प्रस्ताव का प्रारूप **संलग्नक 1-4** में दिया गया है। इस बैठक में प्रस्ताव को तभी पारित माना जाएगा जब समिति की साधारण सभा के 3/5 व्यक्तिशः मतों से यह पारित होगा।

2.4 **जिला स्वास्थ्य समिति के ज्ञापन पत्र तथा नियमावली में संशोधन तथा उनका पंजीयन**
विभिन्न विलयित समितियों तथा जिला स्वास्थ्य समिति की विशेष साधारण सभाओं में पारित प्रस्तावों के अनुरूप जिला स्वास्थ्य समिति के ज्ञापन पत्र तथा नियमावली में आवश्यक संशोधनों को म.प्र. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का क्र. 44) की धारा 9 तथा 10 के अनुसार पंजीयक, फर्म्स एवं सोसायटी के पास पंजीकृत करायें।

संलग्नक 1-1

## कार्यक्रम-विशेष समिति की पहली विशेष साधारण सभा की बैठक में विचारार्थ प्रस्तावित रिपोर्ट का प्रारूप

चूंकि यह महसूस किया गया है कि सभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विभिन्न जिला स्तरीय समितियों को एकीकृत कर दिया जाए ताकि सभी कार्यक्रमों का एकीकृत प्रबंधन एवं क्रियान्वयन सुलभ हो सके, अतः राज्य शासन के आदेश क्रमांक क्र............. दिनांक ............... द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि वे सभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम-विशेष जिला स्तरीय समितियां जो म.प्र. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का क्र. 44) के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उन्हें जिला स्वास्थ्य समिति में समाहित कर दिया जाए ,

चूंकि प्रस्तावित एकीकरण से सभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रबंधन की कार्यकारी प्रभावशीलता निम्नानुसार बढ़ सकेगी :

- विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत समान गतिविधियां समान मेक्रो/माइक्रो बजट शीर्षों/उप-बजट शीर्षों के अंतर्गत देखी जा कर संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है तथा
- सभी कार्यक्रमों की मानीटरिंग अधिक सक्षम और वृहत्तर हो सकेगी,

अतः यह प्रस्तावित है कि :

- दिनांक ............... को ............... समिति की पहली विशेष साधारण सभा की बैठक बुलाई जाए जिसमें इस रिपोर्ट पर विचार कर निम्नलिखित प्रस्तावित ठहराव पर सहमति बना ली जाए जिस पर दूसरी विशेष साधारण सभा की बैठक में विचारोपरांत मत हासिल कर लिया जाय। यह दूसरी विशेष साधारण सभा की बैठक पहली विशेष साधारण सभा की बैठक के एक माह के अंतराल के बाद बुलाई जाए। प्रस्तावित ठहराव का प्रारूप निम्नानुसार है:

  "............... समिति द्वारा यह ठहराव पारित किया जाता है कि राज्य शासन के आदेश क्रमांक क्र...... ........ दिनांक ............... को ध्यान में रखते हुए एवं म. प्र. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का क्र. 44) की धारा 15 के अनुसार इस ............... समिति को दिनांक ...............के प्रभाव से इसके प्रयोजनों, अस्तियों और दायित्वों सहित जिला स्वास्थ्य समिति में समाहित किया जाता है"।

संलग्नक 1-2

............... समिति
जिला ..............

दिनांक

क्रमांक

प्रति

सदस्य, जिला .................. समिति
जिला .....................

**विषयः ............... समिति की पहली विशेष साधारण सभा की बैठक का नोटिस**

दिनांक ............... को ............... समिति की पहली विशेष साधारण सभा की बैठक बुलाई गई है जिसमें संलग्न रिपोर्ट अनुसार समिति के जिला स्वास्थ्य समिति में संविलयन पर विचार किया जाएगा।

उक्त बैठक ............... में ............... बजे होगी। आपके विचारार्थ रिपोर्ट संलग्न है।

कृपया बैठक में आवश्यक रूप से भाग लें।

**सदस्य सचिव**
**जिला...............समिति**

**संलग्न**

1. प्रस्तावित रिपोर्ट
2. शासन आदेश क्रमांक ............... दिनांक ...............

संलग्नक 1-3

............... समिति
जिला .............

दिनांक

क्रमांक

प्रति

सदस्य, जिला .................. समिति
जिला ....................

विषय: ............... समिति की दूसरी विशेष साधारण सभा की बैठक का नोटिस

दिनांक ............... को ............... समिति की दूसरी विशेष साधारण सभा की बैठक बुलाई गई है जिसमें दिनांक ............... को ............... आयोजित बैठक में सहमति अनुसार समिति के जिला स्वास्थ्य समिति में संविलयन पर विचार कर संलग्नानुसार ठहराव पर मत लिया जाएगा।

उक्त बैठक ............... में ............... बजे होगी। आपके विचारार्थ प्रस्तावित ठहराव संलग्न है।

कृपया बैठक में आवश्यक रूप से भाग लें।

सदस्य सचिव
जिला...............समिति

संलग्न
प्रस्तावित ठहराव

1167

(98)

## ............... समिति की दूसरी विशेष साधारण सभा की बैठक में विचारार्थ प्रस्तावित ठहराव

" ............... समिति द्वारा यह ठहराव पारित किया जाता है कि राज्य शासन के आदेश क्रमांक क्र........... ... दिनांक ............... को ध्यान में रखते हुए एवं म. प्र. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का क्र. 44) की धारा 15 के अनुसार इस ............... समिति को दिनांक ...............के प्रभाव से इसके प्रयोजनों, अस्तियों और दायित्वों सहित जिला स्वास्थ्य समिति में समाहित किया जाता है"।

संलग्नक 1-4

जिला स्वास्थ्य समिति
जिला ..............

क्रमांक दिनांक

प्रति

सदस्य
जिला स्वास्थ्य समिति
जिला ..............

**विषयः जिला स्वास्थ्य समिति की विशेष साधारण सभा की बैठक का नोटिस**

दिनांक ............... को जिला स्वास्थ्य समिति की विशेष साधारण सभा की बैठक बुलाई गई है जिसमें ........ ....... समिति(यों) के जिला स्वास्थ्य समिति में संविलयन पर विचार किया जाएगा।

उक्त बैठक .............. में ............... बजे होगी। आपके विचारार्थ प्रस्तावित ठहराव संलग्न है।

कृपया बैठक में आवश्यक रूप से भाग लें।

सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति

संलग्न
प्रस्तावित ठहराव

1765

(50)

## जिला स्वास्थ्य समिति की विशेष साधारण सभा की बैठक में विचारार्थ प्रस्तावित ठहराव

" दिनांक ............... को आयोजित .............. समितियों की विशेष साधारण सभा की बैठक में पारित ठहरावों पर विचार कर यह निर्णय लिया जाता है कि म.प्र. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का क्र. 44) की धाराओं 10 तथा 15 के अनुसार .............. समितियों का दिनांक ...............से उनके प्रयोजनों, अस्तियों और दायित्वों सहित जिला स्वास्थ्य समिति में विलय किया जाता है। तदनुसार जिला स्वास्थ्य समिति के ज्ञापन, विनियमों तथा उपविधियों में आवश्यक संशोधन निम्नानुसार किए जाते हैं जो आज दिनांक .... ........... से प्रभावी होंगे:

*अगला पृष्ठ देखें*

(ग) 164

# जिला स्वास्थ्य समिति

## संशोधित ज्ञापन पत्र एवं उप नियम

अगस्त, 2005

संशोधित

## जिला स्वास्थ्य समिति

## ज्ञापन पत्र

**प्रस्तावना:**

मध्यप्रदेश में जिला स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे क्षय, कुष्ठ, अंधत्व निवारण, मलेरिया, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (आर.सी.एच.) और परिवार कल्याण से संबंधित अलग अलग समितियां है। इन सभी समितियों में कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भाग लेना होता है एवं इन कार्यक्रमों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना होता है। समितियों के उपनियमों के तहत सभी समितियों की अलग-अलग बैठकें होती है जिससे कि जिला स्तर पर प्रशासनिक बोझ बढ़ता है। हालांकि इन सभी समितियों के अलग-अलग उद्देश्य है, लेकिन लोक स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम होने के कारण इनका अंतिम उद्देश्य समान है यथा, समुदाय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। इसी प्रकार सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) रणनीति भी सभी कार्यक्रमों में लगभग एक ही स्वरूप की होती है, लेकिन वर्तमान में प्रत्येक कार्यक्रम की अपनी आई.ई.सी. गतिविधि है एवं इनके अलग-अलग प्रचार-प्रसार कार्यक्रम संचालित हैं। विभिन्न समितियां होने के कारण स्वास्थ्य से संबंधित कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में भी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कारण दोहरापन है अतः एकीकृत समिति के गठन से दोहरेपन से बचा जा सकता है।

इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे क्षय, कुष्ठ, अंधत्व, मलेरिया, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (आर.सी.एच.) और परिवार कल्याण आदि से संबंधित समितियों को एकजाई कर एक ही जिला स्वास्थ्य समिति का गठन प्रस्तावित है जिससे निम्न लाभ प्राप्त होंगें:-

1. बडे पैमाने पर होने वाली बचत (ईकॉनामी ऑफ स्केल)
2. समन्वित प्रयासों से अपेक्षित परिणाम
3. दोहरेपन से बचाव

उपरोक्त परिपेक्ष्य में जिला स्वास्थ्य समिति नामक एक स्वायत्त संस्था एतद् द्वारा गठित की जा रही है जिसके उद्देश्य एवं संरचना आदि का विवरण इस ज्ञापन पत्र में दिया गया है।

*साथ ही भारत सरकार के पत्र क्रमांक 37018/6/2003-EAG (Part IV) दिनांक 20.6.2005 द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य मिशन एवं जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य मिशन के गठन का निर्णय भी लिया गया है। राज्य स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिए योजना तैयार करेगा। इसमें विविध वर्टिकल ढांचों का विलय/समाकलन; प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का अंतरण और विकेंद्रीकरण;*

पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तीकरण; मिशन के क्रियान्वयन के लिए कार्यगत मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करना; रोगों पर निगरानी; सूचना शिक्षा और संप्रेषण तथा प्रबंध सूचना प्रणाली (MIS) शामिल होंगे।

जिला स्वास्थ्य मिशन जिला और उप-जिला स्तर पर सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रबंधन, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करेगा। यह विकास सहयोगी संस्थाओं (Development Partners) से जिला स्वास्थ्य निधि में प्राप्त निधियों के समन्वित उपयोग के लिए समेकित जिला स्वास्थ्य योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। सर्वोपरि जिला स्वास्थ्य मिशन सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।

जिला स्वास्थ्य समिति की साधारण सभा समिति की साधारण सभा होते हुए जिला स्वास्थ्य मिशन की भूमिका का निर्वहन भी करेगी। इसकी बैठकों की विषय सूची में प्रमुखतः कार्यचलनात्मक नीतिगत परिवर्तन के प्रस्ताव, नियोजन, बजटिंग तथा बजट विश्लेषण, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के सेक्टरों में प्रगति की समीक्षा तथा मिशन की पहचान को बढ़ावा देने के लिए पक्ष-समर्थन शामिल हैं।

1.61

(54)

प्रारूप क्रमांक - 1
. (देखिये नियम - 3)

<u>समिति के पंजीयन हेतु ज्ञापन - पत्र</u>

1. समिति का नाम जिला स्वास्थ्य समिति होगा।

2. समिति का कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में स्थित होगा।

3. समिति का कार्यक्षेत्र राजस्व जिले के क्षेत्र तक सीमित होगा।

4. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

*i.* यह समिति जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों, और विशेष रूप से कुष्ठ उन्मूलन, क्षय नियंत्रण, मलेरिया नियंत्रण, अंधत्व निवारण, एड्स नियंत्रण, आर.सी.एच. एवं स्वस्थ जीवन सेवा गारंटी योजना आदि कार्यक्रमों तथा भविष्य में सौंपे जाने वाले अन्य सभी दायित्वों से संबंधित पृथक-पृथक गतिविधियों का *एकीकृत* संचालन करेगी। *वर्तमान में संचालित निम्नलिखित कार्यक्रम भी जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रबंधित होंगे:*

- *स्वस्थ जीवन सेवा गारंटी योजना*
- *एकीकृत जनसंख्या विकास कार्यक्रम*
- *सेक्टर निवेश कार्यक्रम*
- *एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप फॉर पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन*

*ii.* ***राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की अवधारणा के अंर्तगत जिला स्वास्थ्य मिशन की भूमिका में स्वास्थ्य प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन करना ताकि जन स्वास्थ्य प्रबंधन और सेवा प्रदायगी सुदृढ़ हो सके। इसके प्रमुख कार्यों में कार्यचलनात्मक नीतिगत परिवर्तन के प्रस्ताव बनाना, नियोजन करना, बजटिंग तथा बजट विश्लेषण करना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के सेक्टरों में प्रगति की समीक्षा करना तथा मिशन की पहचान को बढ़ावा देने के लिए पक्ष-समर्थन शामिल हैं।***

iii. यह समिति केन्द्र शासन, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति एवं विभिन्न एजेन्सियों जैसे डिपार्टमेंट फॉर इन्टरनेशनल डेवलपमेंट (डी.एफ.आई.डी.) /यूनाईटेड नेशन्स पापुलेशन फंड (यू.एन.एफ.पी.ए)/डेनिडा/विश्व बैंक/यूरोपियन कमीशन(ई.सी.)/यूनाईटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स फन्ड (यूनिसेफ)/एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए.डी.बी.) आदि से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग केन्द्र तथा राज्य शासन के निर्देशानुसार करेगी।

iv. यह समिति केन्द्र शासन, मध्यप्रदेश शासन एवं मध्यप्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति की नीतियों/निर्देशों के अनुसार उपरोक्त कार्यक्रमों से संबंधित धनराशि को स्वीकार, अंगीकृत, क्रियान्वयन एवं निगरानी का कार्य करेगी।

v. यह समिति उपर्युक्त कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत अशासकीय संगठनो तथा अन्य सामुदायिक संस्थाओ का सहयोग प्राप्त कर सकेगी।

vi. यह समिति अंगीकृत कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु अशासकीय संगठनो तथा अन्य सामुदायिक संस्थाओं को केन्द्र अथवा मध्यप्रदेश शासन की नीतियों/निर्देशों के तहत आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान कर सकेगी।

5. **समिति की साधारण सभा (शासी निकाय) में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-**

***अध्यक्ष*** - ***प्रभारी मंत्री, मध्यप्रदेश शासन***
***संयोजक*** - **जिला कलेक्टर**
**सदस्य सचिव** - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सदस्य -

- ***जिला योजना समिति के समस्त सदस्य इस सभा के पदेन सदस्य होंगे। (जिले के लोक सभा एवं विधान सभा सदस्य गण एवं अन्य विशेष आमंत्रित सदस्यों सहित)***
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
- सिविल सर्जन/अधीक्षक जिला अस्पताल
- कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग
- जिला महिला बाल विकास अधिकारी
- जिला शिक्षा अधिकारी
- जनसंपर्क अधिकारी
- जिला स्वास्थ्य अधिकारी
- जिला मुख्यालय में पदस्थ वनमंडल अधिकारी
- ***राज्य शासन के प्रतिनिधि***
- इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन की जिला शाखा के अध्यक्ष
- मलेरिया, क्षय, कुष्ठ, आर.सी.एच., अंधत्व, परिवार कल्याण आदि विभिन्न कार्यक्रमों के जिला कार्यक्रम अधिकारी/नोडल अधिकारी
- अध्यक्ष द्वारा मनोनीत स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं/प्रायवेट चिकित्सकों के दो प्रतिनिधि
- जिले के मदर एन.जी.ओ. के प्रभारी

6. मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1973 (1973 का 44) की धारा (1) की अपेक्षा अनुसार समिति के उप नियमों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

7. हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता इस ज्ञापन पत्र के अनुसार **'जिला स्वास्थ्य समिति'** नामक संस्था गठित करने के इच्छुक हैं और हमने इस ज्ञापन पत्र पर निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं -

1'59

(56)

| क्रमांक | नाम एवं पिता/ पति का नाम | पद नाम | पूर्ण पता | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | कलेक्टर | | |
| 2. | | मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत | | |
| 3. | | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | | |
| 4. | | सिविल सर्जन/अधीक्षक,जिला अस्पताल | | |
| 5. | | कार्यपालन यंत्री,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | | |
| 6. | | कार्यपालन यंत्री,लोक निर्माण विभाग | | |
| 7 | | जिला महिला एंव बाल विकास अधिकारी | | |

हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता साक्षीगण प्रमाणित करते हैं कि हम उपर्युक्त व्यक्तियों को जानते हैं और उन्होनें हमारे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं -

**साक्षी 1**

हस्ताक्षरः
नामः
पूर्ण पताः

**साक्षी 2**

हस्ताक्षरः
नामः
पूर्ण पताः

## जिला स्वास्थ्य समिति

## उप नियम

1. विस्तार एवं प्रयुक्ति

ये उपनियम समिति से संबंध समस्त इकाईयों और गतिविधियों पर लागू होगें। ये उपनियम मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत 'जिला स्वास्थ्य समिति' के पंजीयन की तिथि से प्रभावशील होगें।

2. उद्देश्य

*i.* यह समिति जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों, और विशेष रूप से कुष्ठ उन्मूलन, क्षय नियंत्रण, मलेरिया नियंत्रण, अंधत्व निवारण, एड्स नियंत्रण, आर.सी.एच. एवं स्वस्थ जीवन सेवा गारंटी योजना आदि कार्यक्रमों तथा भविष्य में सौंपे जाने वाले अन्य सभी दायित्वों से संबंधित पृथक-पृथक गतिविधियों का ***एकीकृत*** संचालन करेगी। ***वर्तमान में संचालित निम्नलिखित कार्यक्रम भी जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रबंधित होंगे:***

- **एकीकृत जनसंख्या विकास कार्यक्रम**
- **सेक्टर निवेश कार्यक्रम**
- **एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप फॉर पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन**

*ii.* ***राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की अवधारणा के अंर्तगत जिला स्वास्थ्य मिशन की भूमिका में स्वास्थ्य प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन करना ताकि जन स्वास्थ्य प्रबंधन और सेवा प्रदायगी सुदढ़ हो सके। इसके प्रमुख कार्यो में कार्यचलनात्मक नीतिगत परिवर्तन के प्रस्ताव बनाना, नियोजन करना, बजटिंग तथा बजट विश्लेषण करना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के सेक्टरों में प्रगति की समीक्षा करना तथा मिशन की पहचान को बढ़ावा देने के लिए पक्ष-समर्थन शामिल हैं।***

*iii.* यह समिति केन्द्र शासन, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति एवं विभिन्न एजेन्सियों जैसे डिपार्टमेंट फॉर इन्टरनेशनल डेवलपमेंट (डी.एफ.आई.डी.)/ यूनाईटेड नेशन्स पापुलेशन फंड (यू.एन.एफ.पी.ए)/डेनिडा/विश्व बैंक/यूरोपियन कमीशन(ई.सी.)/यूनाईटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स फन्ड (यूनिसेफ)/एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए.डी. बी.) आदि से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग केन्द्र तथा राज्य शासन के निर्देशानुसार करेगी।

*iv.* यह समिति केन्द्र शासन, मध्यप्रदेश शासन एवं मध्यप्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति की नीतियों/निर्देशों के अनुसार उपरोक्त कार्यक्रमों से संबंधित धनराशि को स्वीकार, अंगीकृत, क्रियान्वयन एवं निगरानी का कार्य करेगी।

*v.* यह समिति उपर्युक्त कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत अशासकीय संगठनो तथा अन्य सामुदायिक संस्थाओ का सहयोग प्राप्त कर सकेगी।

vi. यह समिति अंगीकृत कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु अशासकीय संगठनो तथा अन्य सामुदायिक संस्थाओ को केन्द्र अथवा मध्यप्रदेश शासन की नीतियों/निर्देशों के तहत आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान कर सकेगी।

3. **परिभाषाएं : इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो**

1. 'अधिनियम' - से तात्पर्य मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 से है।
2. 'उपनियम'- से तात्पर्य समिति के लिये बनाये गये उपनियमों से है।
3. 'समिति' से तात्पर्य जिला स्वास्थ्य समिति से है।
4. प्रभारी मंत्री से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित जिले के प्रभारी मंत्री से है। प्रभारी मंत्री साधारण सभा (शासी निकाय) के अध्यक्ष होंगे।
5. 'कलेक्टर' से तात्पर्य जिले के कलेक्टर से होगा।
6. 'मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी' से तात्पर्य जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से होगा।
7. 'जिला योजना समिति' से तात्पर्य जिला योजना अधिनियम 1995 द्वारा गठित जिला योजना समिति से है।
8. 'अध्यक्ष' से तात्पर्य समिति के अध्यक्ष से है।
9. 'राज्य शासन' से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है।
10. 'केन्द्र शासन' से तात्पर्य भारत शासन से है।
11. 'मध्यप्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति' से तात्पर्य उस समिति से है जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये वर्ष 2001 में गठित की गई है।

4. समिति की सदस्यता :-

**समिति की साधारण सभा (शासी निकाय) में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-**

***अध्यक्ष*** - ***प्रभारी मंत्री, मध्यप्रदेश शासन***

***संयोजक*** - **जिला कलेक्टर**

सदस्य सचिव - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

सदस्य -

- *जिला योजना समिति के समस्त सदस्य इस सभा के पदेन सदस्य होंगे। (जिले के लोक सभा एवं विधान सभा सदस्य गण एवं अन्य विशेष आमंत्रित सदस्यों सहित)*
- *जिले के अंतर्गत कार्यरत समस्त रोगी कल्याण समितियों के अध्यक्ष*
- कार्यकारी समिति के समस्त सदस्य।

5. **पदेन सदस्यों का कार्यकाल:-**

1. उपनियम 4 की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले पदेन सदस्य संबंधित पद धारित करने तक समिति के सदस्य बने रहेगें और ऐसे पदों से हटते ही उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जावेगी। इस प्रकार जिस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त होगी उसके संबंधित पद पर उत्तराधिकारी ऐसे पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से समिति का सदस्य बन जायेगा और सदस्य के रूप में उसका कार्यकाल भी उसी प्रकार माना जायेगा।

2. यदि समिति के किसी पदेन सदस्य का पद समाप्त हो जाये या ऐसे पद के नाम में परिवर्तन हो जाये या किसी पद विशेष के धारक के संबंध में संशय की स्थिति उत्पन्न हो, तो संबंधित पद के उत्तराधिकारी या धारक के विषय में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा व शासन निर्ण्य से समिति को अवगत कराने वाली शासन की प्रमाणित संसूचना इस विषय में अंतिम तथा निर्णायक मानी जावेगी।

**6. मनोनीत सदस्यों का कार्यकालः-**

उपनियम 4 के अन्तर्गत मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। मनोनीत सदस्यों का मनोनयन कलेक्टर द्वारा किया जावेगा तथा मनोनीत सदस्य की सदस्यता समिति द्वारा मनोनयन संबंधी अधिसूचना जारी करने की तिथि से आरम्भ होगी।

**7. सदस्यता के लिये अहर्ताएंः-**

सदस्यता के लिये किसी व्यक्ति की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होना आवश्यक है एंव उसे सच्चरित्र होना चाहिये।

**8. सदस्यता की समाप्तिः-**

किसी सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने,मृत्यु होने,पागल हो जाने या दिवालिया हो जाने या नैतिक अधःपतन के स्वरूप के अपराध के लिये दण्डित होने की दशा में उसकी सदस्यता स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

**9. सदस्यता से त्यागपत्रः-**

समिति की सदस्यता से त्यागपत्र, सदस्य सचिव को भेजा जावेगा और वह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक उसे अध्यक्ष द्वारा स्वीकार न कर लिया जाये।

**10. मनोनीत श्रेणी में समय पूर्व होने वाली रिक्तियाँः-**

त्यागपत्र या अन्य कारणों से मनोनीत श्रेणी में समय पूर्व होने वाली रिक्त पदों की पूर्ति अध्यक्ष मनोनयन द्वारा करेगें और इस प्रकार मनोनीत व्यक्ति समय पूर्व समाप्त सदस्यता की केवल शेष अवधि के लिये सदस्य बना रहेगा।

**11. साधारण सभा (शासी निकाय) की कार्यवाही की वैधताः-**

यदि समिति का सदस्य बनने की पात्रता रखने वाला व्यक्ति फिलहाल उसका सदस्य न हो या नियुक्ति के अभाव में अथवा अन्य किसी भी कारण से समिति की सदस्यता में कोई रिक्तियां हो तो भी समिति अपने कृत्य करती रहेगी और मात्र उपर्युक्त में से किसी भी घटना के कारण या समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति में किसी दोष के कारण समिति की कोई कार्यवाही अवैध नहीं होगी।

J55

60

12. साधारण सभा (शासी निकाय) के कार्य एवं शक्तियां:-

साधारण सभा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा संबंधित सेक्टरों में नीति निर्धारण, कार्ययोजना तथा बजट का अनुमोदन तथा समीक्षा एवं मार्गदर्शन का कार्य करेगी। इसके प्रमुख कार्य निम्नानुसार होंगे-

1. स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु समस्त आवश्यक कदम उठाना।
2. स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भारत शासन/राज्य शासन/मध्यप्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के मार्गनिर्देशी सिद्धान्तों के अनुसार सुनिश्चित करना।
3. वार्षिक बजट को अनुमोदित करना।
4. समिति के वार्षिक लेखे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर विचार कर उसे अनुमोदित करना।
5. समिति के उद्देश्यों के अनुकूल कोई भी वैधानिक गतिविधियां संचालित करना।
6. समिति के उपनियमों को राज्य शासन के पूर्वानुमोदन उपरान्त परिवर्तित करना या पुर्नरीक्षित करना।
7. विभिन्न एजेन्सियों या अशासकीय संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का निरीक्षण/पर्यवेक्षण करना।
8. समिति द्वारा अपने कार्यो के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार उप-समितियां गठित करना।
9. समिति अपनी किसी भी शक्ति या कार्य का प्रत्यायोजन अध्यक्ष अथवा संयोजक अथवा उप समिति को कर सकेगी।

13. साधारण सभा (साधारण सभा) की कार्यवाही:-

1. बैठक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर आयोजित होंगी। समिति की बैठके ऐसे अंतराल से आयोजित की जा सकेंगी, जिसे समिति के कार्य के लिए आवश्यक समझा जाए। किंतु समिति की बैठकें *6 माह* में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जाऐंगी।
2. जब तक नियमों में अन्यथा प्रावधानित न हो, समस्त बैठकें सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर से जारी नोटिस द्वारा बुलाई जावेंगी।
3. बैठक बुलाने के लिए सामान्यतः एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। असाधारण कारणों से बैठक इससे कम समय में भी बुलाई जा सकेगी।
4. समिति की बैठकों की अध्यक्षता *प्रभारी मंत्री* द्वारा एवं उनकी अनुपस्थिति में *जिला पंचायत अध्यक्ष* द्वारा की जाएगी।
5. कोरम के लिए एक तिहाई सदस्यों की व्यक्तिशः उपस्थिति आवश्यक होगी। स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगा, परंतु उसमें कलेक्टर या मुख्य कार्यपालन अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
6. समिति की बैठकों में सभी विवादित मुद्दों का निर्णय मतदान द्वारा होगा और पक्ष-विपक्ष में समान मत पड़ने की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति निर्णायक मत देगा।

14. अध्यक्ष की आपातकालीन शक्तियां:-

समिति के उद्देश्यों की अभिपूर्ति तथा समिति के हितों की रक्षा हेतु, अध्यक्ष द्वारा समिति की शक्तियों का उपयोग किया जा सकेगा। इस प्रकार की गई कार्यवाही का अनुमोदन समिति की आगामी बैठक में कराया जाएगा।

15. बैठकों के कार्यवृत्तः-

1. समिति का समस्त कार्य समिति के कार्यवृत्त के रूप में अभिलिखित किया जावेगा।
2. समस्त विवादित मामलों का निराकरण बहुमत से किया जावेगा। प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा तथा पक्ष एवं विपक्ष में समान मत होने पर अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को निर्णायक मत देने का अधिकारी होगा।
3. समिति की मीटिंग के कार्यविवरण समस्त सदस्यों को परिचारित किये जावेंगे।

16. अध्यक्ष एवं सदस्य को मानदेयः-

समिति के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को कोई मानदेय प्राप्ति की पात्रता नहीं होगी।

*17. कार्यकारी समितिः-*

*दिन-प्रतिदिन का कार्य देखने के लिए एक कार्यकारी समिति होगी जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर करेंगे। इसके सदस्य निम्नानुसार होंगे:*

*i.* *अध्यक्षः कलेक्टर*
*संयोजकः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी*

*ii.* *सदस्यः सिविल सर्जन*

*iii.* *विभिन्न कार्यक्रमों के जिला नोडल अधिकारी, यथा स्वास्थ्य,* लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, महिला बाल विकास (एकीकृत बाल विकास सहित), क्षय, कुष्ठ, अंधत्व, मलेरिया, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (आर.सी.एच.) और परिवार कल्याण, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि।

*iv.* प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम-II के जिला कार्यक्रम प्रबंधक समिति के कार्यकारी सचिव होंगे।

*18. कार्यकारी समिति के अधिकार व कर्तव्यः-*

18.1 कार्यकारी समिति कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये आवश्यक उप समितियां गठित कर सकेगी एवं समिति की निधि एवं बजट का संचालन करेगी।

18.2 सभी समाहित कार्यक्रमों का कार्यक्रमवार तथा एकीकृत रूप से समन्वित क्रियान्वयन एवं उनकी मानिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी।

18.3 परिक्षित किया हुआ आय-व्यय का लेखा तथा प्रगति प्रतिवेदन प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करेगी।

18.4 सभी संचालित कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करेगी एवं जिला स्वास्थ्य समिति की अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान भी करेगी।

18.5 समस्त सामग्रियों के क्रय की कार्यवाही संबंधित परियोजना/कार्यक्रम में विर्निदिष्ट प्रक्रिया अनुसार करना। जहां ऐसी कोई प्रक्रिया विर्निदिष्ट न हो वहां राज्य शासन के भण्डार क्रय नियमों का पालन करना।

18.6 समिति के स्वामित्व की किसी भी सम्पत्ति को, समिति के हित के लिए किसी भी व्यक्ति/संस्था को लीज अथवा किराए पर देना।

18.7 समिति के किसी कार्य/प्रयोजन के लिए किसी निजी व्यक्ति या संस्था की भूमि/मकान युक्ति-युक्त किराए पर लेना।

18.8 समिति साधारण सभा द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों का भी निर्वाह करेगी।

*19. कार्यकारी समिति की कार्यवाही:-*

19.1 बैठक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर आयोजित होंगी। समिति की बैठके ऐसे अंतराल से आयोजित की जा सकेंगी, जिसे समिति के कार्य के लिए आवश्यक समझा जाए। किंतु समिति की बैठकें ***1 माह*** में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जाऐंगी।

19.2 बैठक बुलाने के लिए सामान्यतः एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। असाधारण कारणों से बैठक इससे कम समय में भी बुलाई जा सकेगी।

19.3 समिति की बैठकों की अध्यक्षता ***कलेक्टर*** द्वारा एवं उनकी अनुपस्थिति में ***मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत*** द्वारा की जाएगी।

19.4 कोरम के लिए एक तिहाई सदस्यों की व्यक्तिशः उपस्थिति आवश्यक होगी। स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगा, परंतु उसमें कलेक्टर या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

19.5 समिति की बैठकों में सभी विवादित मुद्दों का निर्णय मतदान द्वारा होगा और पक्ष-विपक्ष में समान मत पड़ने की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति निर्णायक मत देगा।

**20. कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की आपातकालीन शक्तियाँ:-**

समिति के उद्देश्यों की अभिपूर्ति तथा समिति के हितों की रक्षा हेतु, अध्यक्ष द्वारा समिति की शक्तियों का उपयोग किया जा सकेगा। इस प्रकार की गई कार्यवाही का अनुमोदन समिति की आगामी बैठक में कराया जाएगा।

**21. कार्यकारी समिति की बैठकों के कार्यवृत्त:-**

1. समिति का समस्त कार्य समिति के कार्यवृत्त के रूप में अभिलिखित किया जावेगा।
2. समस्त विवादित मामलों का निराकरण बहुमत से किया जावेगा। प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा तथा पक्ष एवं विपक्ष में समान मत होने पर अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को निर्णायक मत देने का अधिकारी होगा।
3. समिति की मीटिंग के कार्यविवरण समस्त सदस्यों को परिचारित किये जावेंगे।

**22. समिति की निधि:-**

**समिति की निधि के निम्नांकित अंग होंगे:-**

1. केन्द्र शासन/राज्य शासन/मध्यप्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति से प्राप्त अनुदान।
2. अन्य राशि जो अनुदान, उपहार, दान, उपादान, अंतरण अथवा अन्य किसी स्त्रोत से प्राप्त की गई हो।

23. बजट:-

राज्य शासन को निर्धरित प्रपत्र में वार्षिक बजट अनुमानित आय एवं व्यय का लेखा तैयार कर प्रस्तुत किया जावेगा, जिसे कि इस प्रकार तैयार करने की अपेक्षा की गई हो।

**24. लेखों का संधारणः-**

1. समिति निधि में जमा की गई सम्पूर्ण राशि राष्ट्रीयकृत बैंक मे रखी जावेगी। खाते से राशि का आहरण चैक के माध्यम से किया जाएगा। समस्त चैक अध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं कार्यक्रम देख रहे सदस्य में से किन्हीं दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाऐंगे।
2. प्रत्येक योजना के लिए एक पृथक बैंक लेखा संधारित किया जावेगा। साथ ही प्रत्येक कार्यक्रम की पृथक पृथक केशबुक एवं खाता बही होंगी।
3. जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समिति के सचिव होंगे तथा प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी समिति का सदस्य रहेगा। प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी अपने कार्यक्रम से संबंधित सभी दस्तावेज/लेखे आदि पृथक से संधारित करेंगें जिससे कि राज्य शासन और केन्द्र शासन को उनके चाहे अनुसार अलग अलग प्रगति प्रतिवेदन, उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अंकेक्षित लेखे आदि सुविधापूर्वक भेजें जा सके।

**25. लेखा एवं लेखा परीक्षाः-**

1. समिति के लेख द्विप्रविष्टि बुक कीपिंग प्रणाली के अंतर्गत तथा राज्य शासन/मध्यप्रदेश शासन एवं परिवार कल्याण समिति द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रखे जावेंगे जिसमें निम्नांकित लेखों/अभिलेखों का रखना आवश्यक होगा।
   1. केशबुक 2. बहीखाता 3. व्हाउचर्स, 4. बैंक खाता 5. बैंक ड्राफ्ट/चेक प्राप्ति रजिस्टर, 6. चेक प्रदाय रजिस्टर, 7. स्थाई संपत्ति रजिस्टर
2. आवंटन एवं व्यय की प्रत्येक मद के लिए कार्यक्रम की आवश्यकतानुसार लेखा तैयार किया जाएगा तथा उसे भारत शासन एवं राज्य शासन के प्रेषित किया जाएगा। कार्यक्रम देख रहे सदस्य द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्धारित तिथि तक कार्यक्रम से संबंधित वार्षिक लेखा रखा जावेगा जिसमें प्राप्ति, भुगतान एवं बैलेंस शीट होगी।
3. लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रत्येक प्रति अंकेक्षक, अध्यक्ष एवं कार्यक्रम देख रहे सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जाकर निर्धारित तिथि तक राज्य शासन/मध्यप्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति को भेजी जाएगी।
4. भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, तथा राज्य शासन को समिति के लेखों के निरीक्षण एवं रिकार्ड मंगाने का उसी प्रकार अधिकारी होगा जो उसे शासकीय लेखाओं के लेखा परीक्षा करने अथवा अन्य अभिलेख प्राप्त करने का है। साथ ही मध्यप्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति को भी विशेष परिस्थितियों में समिति की लेखा परीक्षा करने का अधिकारी होगा।

**26. वित्तीय वर्षः-**

समिति का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा। समिति द्वारा तैयार किया गया आय व्यय पत्रक एवं बैलेंस शीट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अंतर्गत जिला योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

**27. अंकेक्षण एवं अंकेक्षक की नियुक्तिः-**

समिति ने अंकेक्षक की नियुक्ति एवं उसको दिए जाने वाले पारिश्रमिक का निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। समिति द्वारा नियुक्त अंकेक्षक को समिति में रखी गई लेखा पुस्तकों, लेखों से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजों को देखने का अधिकारी होगा तथा अंकेक्षक को समिति के सदस्यों से जानकारी लेने एवं वस्तुस्थिति ज्ञात करने का अधिकार होगा।

151

(64)

28. प्राधिकारः-

समिति के समस्त आदेश, निर्णय एवं दस्तावेज अध्यक्ष के हस्ताक्षर से प्राधिकृत समझे जाएंगे। समिति की ओर से पत्र जारी करने का अधिकारी सदस्य सचिव/कार्यक्रम देख रहे सदस्य को रहेगा।

29. केन्द्र/राज्य शासन के निर्देशः-

समिति केन्द्र/राज्य शासन/मध्यप्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करेगी। समिति भारत शान/राज्य शासन/मध्यप्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति को समय-समय पर ऐसे प्रतिवेदन अथवा अन्य जानकारी भेजेगी जिसे भेजा जाना वांछनीय हो।

30. सामान्य/विविध कार्यवाहीः-

1. समिति की आय एवं सम्पत्ति का उपयोग समिति के उद्देश्य की उन्नति के लिए किया जावेगा।
2. समिति की आय एवं सम्पत्ति का कोई भाग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समिति में किसी सदस्य को लाभांश अथवा लाभ पहुंचाने की दृष्टि से भुगतान/अंतरण नहीं किया जाएगा।
3. समिति के विघटन अथवा बंद हो जाने पर उसकी सम्पत्यितयों/दायित्वों का बंटवारा/भुगतान सदस्यों में नहीं किया जाकर उसका निराकरण राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

31. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारीः-

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 27 के अंतर्गत समिति की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जाएगी। तथा धारा 28 के अंतर्गत समिति की परीक्षित लेखा भेजेगी।

32. संशोधनः-

समिति के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो समिति के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकारी पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐं हो होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य देगा।

33. विघटनः-

समिति का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात समिति की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

34. संपत्तियाँ:-

1. समिति की समस्त चल तथा अचल संपत्ति समिति के नाम से रहेगी। समिति की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।
2. राज्य सरकार/मध्यप्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समिति की स्थाई सम्पत्तियों का शेड्यूल तैयार कर एक विवरणिका के रूप में वार्षिक लेखे के साथ भेजा जावेगा। इसके सम्पत्तियों का ह्रास (Depreciation) न दर्शाते हुए सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य लेखा सहित दर्शाया जाएगा।
3. भारत शासन/राज्य शासन/मध्यप्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त प्रत्येक अनुदान/ऋण के संबंध में पृथक-पृथक उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यक्रम में निर्धारित प्रक्रिसर अनुसार प्रेषित किये जाएंगे।

35. पंजीयक द्वारा बैठक बुलानाः-

समिति की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाओं को बैठक बुलाने का अधिकारी होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

| हस्ताक्षर | हस्ताक्षर | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| (सदस्य सचिव) | (सदस्य) | (अध्यक्ष) |
| नाम | नाम | नाम |